महोबा पुलिस

दिनांक- 31.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 469/26

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में वर्चुअल जनसुनवाई का आयोजन किया गया, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

- आज दिनांक 31.07.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा से गूगल मीट के माध्यम से वर्चुअल जनसुनवाई आयोजित की गई। इस पहल के अंतर्गत जनपद के समस्त पुलिस अधिकारी एवं थाना प्रभारी वर्चुअल माध्यम से सीधे जुड़कर जनसमस्याओं के समाधान में सहभागी बने।
- जनसुनवाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आये शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना गया तथा संबंधित थाना प्रभारियों से सीधे संवाद स्थापित कर प्रत्येक प्रकरण के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।
- पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी शिकायतों का निस्तारण पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए, जिससे आमजन को शीघ्र न्याय एवं राहत प्राप्त हो सके।
- साथ ही उन्होंने जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रत्येक स्तर पर प्रभावी एवं उत्तरदायी पुलिसिंग सुनिश्चित करने पर बल दिया।

महोबा पुलिस- समस्याओं का समाधान, पारदर्शिता के साथ

दिनांक- 31.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 468/26

महोबा पुलिस

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा साप्ताहिक परेड का निरीक्षण, दंगा नियंत्रण उपकरणों की जांच एवं अर्दली रूम में प्रकरणों की समीक्षा कर दिये गये निर्देश।

आज दिनांक 31.07.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह द्वारा शुक्रवार की साप्ताहिक परेड की सलामी लेकर परेड का विधिवत निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पुलिस बल की अनुशासन, सजगता एवं कार्यकुशलता का गहन अवलोकन किया गया।

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस बल की शारीरिक क्षमता, मानसिक दृढ़ता एवं परिचालन दक्षता को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से टोलीवार दौड़ एवं विभिन्न ड्रिल कराई गई। साथ ही उपस्थित पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के दौरान सजगता, तत्परता एवं अनुशासन बनाए रखने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

परेड के उपरांत पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना प्रभारियों के सरकारी वाहनों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान वाहनों में उपलब्ध दंगा नियंत्रण उपकरणों (Riot Control Equipment) की उपलब्धता, गुणवत्ता एवं कार्यशीलता का परीक्षण किया गया। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सभी उपकरण सदैव सुचारू स्थिति में उपलब्ध रहें तथा किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने हेतु पूर्ण रूप से तैयार रहें।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा आदेश कक्ष में अर्दली रूम आयोजित किया गया, जिसमें अधीनस्थ कार्मिकों की पत्रावलियों का गहन अवलोकन करते हुए विभिन्न प्रकरणों का अनुश्रवण किया गया। लंबित प्रकरणों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों/कार्मिकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के साथ करें तथा जनसमस्याओं के समाधान में प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

दिनांक- 31.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 470/26

महोबा पुलिस

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा उ0प्र0 पुलिस में अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने वाले पुलिसकर्मी को पुष्पगुच्छ/मोमेन्टों प्रदान कर दी गई भावुक विदाई।

उ0प्र0 पुलिस में अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने वाले पुलिस कर्मियों की यादगार विदाई हेतु आज दिनांक 31.07.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती वन्दना सिंह द्वारा पुलिस लाइन में विदाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा उ0प्र0 पुलिस सेवा से अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने वाले पुलिसकर्मियों को उनके परिवारीजनों की उपस्थिति में स्मृति चिन्ह, शॉल, उपहार एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया। साथ ही पुलिस सेवा के दौरान उनके द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों को स्मरण करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य, सुखमय जीवन एवं उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए भावभीनी विदाई दी गई।

सेवानिवृत्त होने वाले पुलिसकर्मी-

1. उ0नि0 श्री लालमणि
2. उ0नि0 श्री राजेन्द्र प्रसाद
3. उ0नि0 श्री अनुज प्रताप सिंह
4. रेडियो उ0नि0 श्री ठाकुर दास वर्मा
5. मुख्य आरक्षी श्री हमीद उद्दीन

उक्त विदाई समारोह के अवसर पर क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकान्त गोंड, प्रतिसार निरीक्षक शिवकुमार, जनपदीय पुलिस के अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण एवं सेवानिवृत्त होने वाले पुलिसकर्मियों के परिवारीजन उपस्थित रहे। सभी के द्वारा सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों को ससम्मान विदाई दी गई।

दिनांक- 31.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 471/26

महोबा पुलिस

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा 02 आधुनिक इंटरसेप्टर बाइकों को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना, "ओवरस्पीड, रॉन्ग साइड, स्टंटबाज़ी और ड्रंक एंड ड्राइव पर अब रहेगी इंटरसेप्टर वाहन की पैनी नज़र।"

जनपद महोबा में सड़क सुरक्षा को और अधिक प्रभावी एवं तकनीक आधारित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए यातायात निदेशालय, उत्तर प्रदेश से प्राप्त 02 आधुनिक इंटरसेप्टर बाइकों (रॉयल इनफील्ड हण्टर 350) को आज दिनांक- 31.07.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर यातायात व्यवस्था हेतु रवाना किया गया।

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक महोबा ने बताया कि इंटरसेप्टर बाइकें आधुनिक तकनीकी उपकरणों से सुसज्जित हैं, जिनमें मौजूद लेजर तकनीकी के माध्यम से ओवरस्पीडिंग, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, स्टंटबाजी, ड्रंक एंड ड्राइव, बिना सीट बेल्ट, मोबाइल फोन का प्रयोग करते हुए वाहन चलाना तथा अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन पर प्रभावी निगरानी एवं कार्रवाई की जा सकेगी। इस वाहन में हाई-रिज़ॉल्यूशन कैमरे, स्पीड डिटेक्शन सिस्टम, वीडियो रिकॉर्डिंग सुविधा, पब्लिक एड्रेस सिस्टम सहित अन्य आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं, जिससे यातायात नियमों के उल्लंघन की सटीक पहचान कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित होगी।

यातायात नियमों के उल्लंघन एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन संचालन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा। इनका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना, आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा जनपद में सुरक्षित एवं अनुशासित यातायात व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाना है।

उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा पुलिस की जिम्मेदारी के साथ-साथ प्रत्येक नागरिक का सामूहिक दायित्व है। यातायात नियमों का पालन कर हम स्वयं के साथ-साथ अन्य लोगों के जीवन की भी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं।

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह, क्षेत्राधिकारी यातायात श्री रविकांत गोंड, प्रभारी यातायात महोबा श्री सुनील कुमार सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

दिनांक- 31.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 472/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़- थाना पनवाड़ी

थाना पनवाड़ी पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल नेतृत्व में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में, थाना प्रभारी व0उ0नि0 महेन्द्र कुमार वर्मा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना पनवाड़ी पुलिस को सफलता प्राप्त हुई।

उक्त अभियान के अंतर्गत गठित पुलिस टीम, जिसमें उ0नि0 नरेन्द्र कुमार मय हमराह का0 कुलदीप शुक्ला एवं रि0का0 संदीप कुमार शामिल थे, द्वारा 01 नफर वारंटी अभियुक्त रामकुमार पुत्र शंकर लाल, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी गौनगुढा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा को संबंधित मु0नं0 4165, अ0सं0 1531/2014 धारा 379/411 भादवि तथा 3/5, 7/70 माइंस एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के उपरांत अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय महोबा के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

रामकुमार पुत्र शंकर लाल, उम्र लगभग 42 वर्ष
निवासी गौनगुढा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा

संबंधित वाद का विवरण-

मु0नं0 4165
अ0सं0 1531/2014
धारा 379/411 भादवि
धारा 3/5, 7/70 माइंस एक्ट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 नरेन्द्र कुमार, थाना पनवाड़ी जनपद महोबा
2.का0 कुलदीप शुक्ला, थाना पनवाड़ी जनपद महोबा
3.रि0का0 संदीप कुमार, थाना पनवाड़ी जनपद महोबा

दिनांक- 31.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 474/26

महोबा पुलिस

सर्किल चरखारी- थाना चरखारी

थाना चरखारी पुलिस टीम द्वारा अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अवैध शस्त्र व कारतूस की बिक्री एवं परिवहन की रोकथाम तथा ऐसे अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 31.07.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना चरखारी श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित उ0नि0 देवेन्द्र कुमार ओझा मय हमराह हे0कां0 बृजेन्द्र सिंह भदौरिया के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त संजय अहिरवार पुत्र भगवानदास उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम अकठौहा थाना चरखारी जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 अदद नाजायज देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद करते हुये सूपा चौराहे के पास बने यात्री प्रतीक्षालय कस्बा चरखारी थाना चरखारी जनपद महोबा से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 162/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

संजय अहिरवार पुत्र भगवानदास उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम अकठौहा थाना चरखारी जनपद महोबा

बरामदगी विवरण–

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद अवैध जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 देवेन्द्र कुमार ओझा

2.हे0कां0 बृजेन्द्र सिंह भदौरिया

दिनांक- 31.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 475/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़- थाना महोबकंठ

थाना महोबकंठ की पुलिस टीम ने गैंगेस्टर एक्ट के वांछित 01 नफर शातिर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदना सिंह के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार सिंह के नेतृत्व में चलाए जा रहे अपराध की रोकथाम, तलाश व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज दिनांक 31.07.2026 को थाना महोबकंठ पुलिस को सफलता प्राप्त हुई।

उक्त अभियान के अंतर्गत प्रभारी निरीक्षक थाना महोबकंठ श्री विनोद कुमार के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 111/2026 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट से संबंधित 01 नफर वांछित अभियुक्त उमेश राजपूत पुत्र संतोष राजपूत, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी ग्राम पचारा थाना महोबकंठ जनपद महोबा को घुटई तिराहा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी के उपरांत अभियुक्त उपरोक्त को आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

उमेश राजपूत पुत्र संतोष राजपूत, उम्र लगभग 25 वर्ष निवासी ग्राम पचारा थाना महोबकंठ जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1.SHO महोबकंठ श्री विनोद कुमार

2.रि0कां0 नितिन कनौजिया

3.रि0कां0 विकास कुमार

दिनांक- 31.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 473/26

महोबा पुलिस

डकैती के 05 अभियुक्तों को 07-07 वर्ष सश्रम कारावास व ₹10,000-₹10,000 अर्थदण्ड, जबकि टॉप-10 शातिर अपराधी बिन्डोला उर्फ बिन्दादीन को एक अन्य प्रकरण में 02 वर्ष के कारावास व ₹1000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया...।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "Operation Conviction" के दृष्टिगत, श्री शशांक सिंह, पुलिस अधीक्षक जनपद महोबा के कुशल निर्देशन में महोबा पुलिस द्वारा की गयी गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक 31.07.2026 को न्यायालय द्वारा दो महत्वपूर्ण प्रकरणों में अभियुक्तों को सजा सुनाई गई।

विवरण निम्नवत है:-

प्रकरण-1 (डकैती का मामला)-

थाना खन्ना, मु0अ0सं0 13/2018 धारा 395, 397 भादवि के अंतर्गत अभियुक्तगण द्वारा वादी के घर में घुसकर सोने-चांदी के जेवरात लूट लिए गए थे। उक्त प्रकरण में 05 अभियुक्त—1.बिन्डोला उर्फ विन्दादीन पुत्र मंगी प्रजापति निवासी ग्राम व थाना खन्ना जनपद महोबा 2.छंगा उर्फ धनीराम पुत्र कालीचरन प्रजापति निवासी लौडी जनपद छतरपुर 3.जगदीश पुत्र श्यामलाल निवासी मवई बुजुर्ग थाना कोतवाली जनपद बांदा 4.मुन्ना प्रजापति चुनुवाद निवासी मवई बुजुर्ग थाना कोतवाली जनपद बांदा 5.भूपेन्द्र पुत्र झुरिया प्रजापति निवासी सिरसी कला थाना खन्ना जनपद बांदा को मा० न्यायालय द्वारा प्रत्येक को 07-07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹10,000-₹10,000 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण-2 (न्यायालय की अवहेलना / 174A सीआरपीसी)

थाना खन्ना, मु0अ0सं0 54/2018 धारा 174ए भादवि के अंतर्गत अभियुक्त बिन्डोला उर्फ बिन्दादीन पुत्र मंगी निवासी खन्ना जनपद महोबा द्वारा न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की गई थी। मा० न्यायालय ए0डी0जे0 प्रथम, महोबा द्वारा अभियुक्त को 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹1000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास एवं विशेष घटना-

अभियुक्त बिन्डोला उर्फ बिन्दादीन जनपद महोबा का चिन्हित टॉप-10 अपराधी है। इसके विरुद्ध जनपद महोबा, बांदा, हमीरपुर एवं छतरपुर में तीन दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्त द्वारा योजनाबद्ध तरीके से वर्ष 2015 में थाना मौदहा, जनपद हमीरपुर क्षेत्र में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई तथा साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव को आंशिक रूप से जला दिया गया। इसके उपरांत उक्त शव को अपना बताते हुए परिजनों से उसकी शिनाख्त करा ली गई। साथ ही, अपनी ही हत्या दर्शाते हुए अपने गांव के निर्दोष व्यक्तियों को नामजद कराकर मुकदमा अपराध संख्या 596/2015, धारा 302/201 भादवि, थाना मौदहा, जनपद हमीरपुर में पंजीकृत कराया गया, जिसके फलस्वरूप उन्हें जेल भिजवा दिया गया। लगभग 03 वर्ष पश्चात, वर्ष 2018 में इस शातिर अभियुक्त के पकड़े जाने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्त द्वारा अपने विरुद्ध पंजीकृत मुकदमों की सजा से बचने के उद्देश्य से अपनी ही हत्या की साजिश रची गई थी, जिससे न्यायालय में इसके विरुद्ध विचाराधीन अभियोगों की पत्रावलियां बंद हो जाएं और वह दण्ड से बच सके।